

नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा स्टिचिंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

इतना फहराजाद स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से
 विधान परिषद (सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए

मैं, अभ्यर्थी, सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी सुनील कुमार गुप्ता आयु 30
 निवासी 1/55 नं. जस फतेहगढ़ उपरोक्त निर्वाचन में सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान
 और दिव्य प्रकाश से पतद्वारा शपथ लेता हूँ :- (जो लागू न हो उसे काट दें)

1. निम्नलिखित मामला/मामले मेरे विरुद्ध लखित है, जिसकी ब्यायालय को जानकारी है :-
 - (I) अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण, जिसकी ब्यायालय को जानकारी है
 - (II) ब्यायालय जिसको जानकारी है :-
 - (III) मामला सं० :-
 - (IV) जानकारी रखने वाले ब्यायालय के आदेश की तारीख :-
 - (V) संज्ञान रखने वाले उपरोक्त आदेश के विरुद्ध संशोधन के लिए दाखिल की गई अपील/अपीलों/आवेदन/आवेदनों आदि, यदि कोई है के विवरण :-

2. कि मैं इसके द्वारा अपना, पति/पत्नी तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल बैंक जमा आदि) का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ।

(क) चल परि सम्पत्ति के विवरण (संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम
1.	नकद	Rs 59,000/-	α	α	α	α
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा धन राशि					
3.	कंपनियों में बॉर्ड, डिबेंचर और शेयर					
4.	अन्य वित्तीय साधनों एन.एस.एस.; डाक बचत; एल.आई.सी. पालिसी आदि					
5.	मोटर वाहन (कम्पनी मॉडल आदि का विवरण)					
6.	गहने (भार तथा कीमत का विवरण दें)					
7.	अन्य परिसम्पत्तियां जैसे दावे की कीमत/ब्याज					


टिप्पणी : सूचीबद्ध कंपनियों के सम्बन्ध में बॉर्ड/शेयर/डिबेंचर की कीमत, स्टॉक एक्सचेंज की अद्यतन बाजार कीमत के अनुसार तथा गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में खातों के अनुसार दी जाए।

सुनील कुमार मिश्र
 एडवोकेट - नोटेरी
 मुख्यालय - फतेहगढ़
 (फहंखावाड उ०प्र०)
 फ. नं० 68/16/2008

*आश्रित से तात्पर्य अभ्यर्त्री की आय पर वह व्यक्ति पूर्णतः आश्रित है।

- (ख) अचल परिसम्पत्तियों का विवरण 2
(टिप्पणी : संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 का नाम आदि
1.	कृषि भूमि - स्थिति (स्थितियाँ) - सर्वेक्षण संख्या - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार कीमत	नहीं				
2.	गैर कृषि भूमि - स्थिति (स्थितियाँ) - सर्वेक्षण संख्या - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं				
3.	भवन (व्यवसायिक और आवासीय) - स्थिति (स्थितियाँ) - सर्वेक्षण/दरवाजा नम्बर - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं				
4.	मकान/अपार्टमेंट आदि - स्थिति (स्थितियाँ) - सर्वेक्षण/दरवाजा नम्बर - विस्तार (कुल माप) - वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं				
5.	अन्य (सम्पत्ति से ब्याज आदि)	नहीं				



Pradip Kumar
(14-11-20)

प्रदीप कुमार

एडवोकेट - नोटेरी

★ मुख्यालय - फतेहगढ़ ★

(फर्रुखाबाद उ.प्र.)

पत्रिका नं० 68/16/2008

प्रदीप कुमार
नोटेरी - फतेहगढ़
मुख्यालय - फतेहगढ़
(फर्रुखाबाद उ.प्र.)
पत्रिका नं० 68/16/2008

3. मैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी देनदारियों को बक़रया अपनी देयताओं/अति देयताओं का विवरण नीचे दे रहा हूँ :-

(टिप्पणी: कृपया प्रत्येक मद के लिए अलग विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	बैंक/वित्तीय (संस्थान/संस्थानों) विभाग (विभागों) का नाम और पता	दिनांक को बक़रया राशि
(क) (I)	बैंक से ऋण	नहीं	
(II)	वित्तीय संस्थानों से ऋण	नहीं	
(III)	सरकारी देयताएं (आयकर और सम्पत्ति कर के अतिरिक्त) किसी सार्वजनिक कार्यालय में काम कर रहे हों या काम कर चुके हों, की स्थिति में 'नो ड्यू' प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए।	नहीं	
(ख) (I)	अविभाज्य सहित आयकर (जिस वर्ष तक आयकर विवरण दाखिल की गई, दस निर्धारण वर्ष का भी उल्लेख करें) अपना स्थायी लेखा नम्बर (पी.ए.एन. (पैन) भी दें)	नहीं	
(II)	सम्पत्ति कर (सम्पत्ति की विवरण किस निर्धारण वर्ष तक दाखिल की गई, उसका भी उल्लेख करें)	नहीं	
(III)	बिक्री कर (केवल, साम्प्रतिक व्यवसाय के मामले में)	नहीं	
(IV)	सम्पत्ति कर	नहीं	



4. मेरी शैक्षिक योग्यताएं निम्नलिखित हैं :-

(स्कूल/विश्वविद्यालय का नाम तथा वर्ष (स्कूल तथा विश्वविद्यालय का विवरण दें) का विवरण भी अवश्य दें जिस वर्ष वह कोर्स पूरा किया गया था) सम्पूर्ण

द्वितीय शालूजी महाराज विश्वविद्यालय, कासपुर वर्ष 2001

अभिसाक्षी

सुनील कुमार गुप्ता

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापित करता हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सत्य और सही है और इस का कोई भी भाग गलत नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण इसमें छिपाया नहीं गया है।

वर्ष 2003 के दिन को स्थान पर सत्यापित

14-11-2003

अभिसाक्षी

सुनील कुमार गुप्ता

I solemnly affirmed before me on this day 14-11-2003 between has hours 10-12 AM by Shri Sunil Kumar Gupta who has heard & under stood its contents

Identified by Sunil Kumar Gupta S.N. Shukla 14/11/03

14-11-03
सुदीप कुमार मिश्र
 एडवोकेट - नोटेरी
 * मुख्यालय - फतेहगढ़ *
 (फर्रुखाबाद उ०प्र०)
 फि. नं० 68/16/2006

इटावा-फर्रुखाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन क्षेत्र का नाम

विधान परिषद सदस्य का नाम के लिए निर्वाचन के लिए रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्था द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला शपथ पत्र



मैं, सुमीत कुमार गुप्ता . . . पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री. कृष्ण गोपाल गुप्ता आयु .30. . . वर्ष, जो का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्था हूँ सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा करता हूँ / करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ / करती हूँ :-

- मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध अपराधों का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरक्त किया गया है/ किए गए हैं

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध अपराधों का/की अभियुक्त है तो वह निम्न लिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

i) मामला/ प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्यायें 1 मु.नं. 287/99 धारा 379 चा.को. फतेहगढ़
2 मु.नं. 1781/99 धारा 153, 153A चा.को. फतेहगढ़
3 मु.नं. 1088/02 धारा 332, 333, 334, 506 चा.को. फतेहगढ़
ii) पुलिस थाना कोतवाली फतेहगढ़ . . . जिला फर्रुखाबाद राज्य उ.प्र.

iii) संबंधित अधिनियम अधिनियमों की धारा धाराएं और उस अपराध अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके जिनके लिए अभ्यर्था आरोपित किया गया है DI-AC धारा 379
2 IPC धारा 153, 153A
3 IPC धारा 332, 333, 334, 506

iv) न्यायालय, जिसके जिनके द्वारा आरोप आरोपों की विवेचना की गई सी.जे.एम. फर्रुखाबाद

v) तारीखें तारीखों जिनको आरोप विवरित किया गया था/ किए गए हैं

vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी समक्ष अधिकारिता वाले न्यायालय रोकی गई है/ है

2- मुझे किसी अपराध अपराधों से लोक 1951 1951 का 43 की धारा 8 की उपधारा 1 या उपधारा 2 में निदिष्ट या उपधारा 3 के अन्तर्गत आने किसी अपराध अपराधों से भिन्न के लिए सिद्धोत्त ठहराया गम / नहीं है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है / नहीं किया गया है

यदि अभिसाक्षी उपयुक्त रूप में सिद्धोत्त ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्न लिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा नहीं

i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्यायें

ii) न्यायालय, जिसके जिनके द्वारा आरोप आरोपों की विवेचना की गई

iii) पुलिस थाना कोतवाली फतेहगढ़ . . . जिला फर्रुखाबाद राज्य उ.प्र.

iv) संबंधित अधिनियम अधिनियमों की धारा धाराएं और उस अपराध अपराधों का संक्षिप्त विवरण जिसके जिनके लिए अभ्यर्था आरोपित किया गया है


v) तारीखें तारीखों जिनको आरोप विवरित किया गया था/ किए गए हैं

अधीनस्थ एडवोकेट - नोटेरी
मुख्यालय - फतेहगढ़
(फर्रुखाबाद उ.प्र.)
सं. नं. 11/2000

101

V तारीखा तारीखों जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए जाये / सुनाए जाये
VI क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है / रोके गए हैं

स्थान- ~~14-11-2003~~ फतेहगढ़



14-11-2003

सुरेश कुमार गुप्ता
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

इस पर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्गत मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

फतेहगढ़ स्थान पर आज तारीख 14-11-2003 को सत्यापित किया।

सुरेश कुमार गुप्ता
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणा: इस प्ररूप के वे स्तम्भा, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं।

solemnly affirmed before me on this day, at 14-11-2003, between his hours, by Shri Pradeep Kumar Singh, Advocate, Fatehgarh Sahib, who has heard and understood its contents, and certified by me, S. H. S. [Signature]

सुरेश कुमार गुप्ता
Justified
Suresh Kumar Gupta
14/11/03

प्रदीप कुमार सिंघ
एडवोकेट - नोटेरी
दफ्तर न्यायालय - फतेहगढ़
(फह्रिबावादा उ०प्र०)
अधि० नं० 68/16/200०